प. 2 (209)/शिक्षा-4/2003 — जयपुर, दिनांक - 26.8.2003

कुल सचिव,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर।

विषयः-- चौधरी आर.आर. मेमोरियल महाविद्यालय, रींगस (सीकर) के नाम से नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु सत्र 2003-04 के लिये अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत ।

संदर्भ-- निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान ,जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक प.4( ) लेखा/निकाशि/2003/2267 दिनांक 13.6.2003

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशक, कॉलेज शिक्षा ,राजस्थान , जयपुर द्वारा प्रेषित संदर्भित पत्र में की गई अनुशंषा के आधार पर चौधरी आर.आर. मेमोरियल महाविद्यालय, रींगस (सीकर) के नाम से नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने एवं उसमें अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त स्नातक कला संकाय में 1. अंग्रेजी 2 हिन्दी 3. संस्कृत 4. दर्शनशास्त्र 5. इतिहास 6. राजनीति विज्ञान 7. लोकप्रशासन 8. चित्रकला 9. समाज शास्त्र 10 गृह विज्ञान 11. गणित 12 अर्थशास्त्र 13 भूगोल 14 सांख्यिकी 15 मनोविज्ञान 16 एन्थ्रोपोलोजी ऐच्छिक विषय प्रारम्भ करने हेतु सत्र 2003-04 से तीन वर्ष के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न लिखित शर्तो के साथ जारी किया जाता है :-

1. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धंन प्राप्त करने के बाद ही विद्यार्थियों को प्रवेश देगी ।
2. संस्था यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ नियुक्त करेगी तथा यू.जी.सी.अर्हताधारी व्याख्याताओं की नियुक्ति करके सूची एक वर्ष के अन्दर निदेशक कॉलेज शिक्षा को प्रेषित करेगी अन्यथा निदेशालय द्वारा एन. ओ.सी. रद्द करने बाबत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।
3. संस्था अशैक्षणिक पदों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार व्यक्तियों की ही नियुक्ति करेगी ।
4. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के संयुक्त खाते में नियमानुसार निर्धारित एण्डोमेन्ट राशि जमा करानी होगी।
5. संस्था नवीन महाविधालय में प्रारम्भ किये जाने वाले विषयों में सभी मूलभूत सुविधायें जैसे कक्षा कक्ष /फर्नीचर/प्रयोगशालायें/पुस्तकालय /खेलकूद मैदान आदि की व्यवस्था करेगी ।
6. संस्था स्थाई निधि की राशि 5.00 लाख रुपये 5 वर्षीय सावधि जमा/5 वर्ष तक जमा रखने होंगे तथा पांच वर्ष बाद नवीनीकरण कराया जावेगा ।
7. संस्था को राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी ।
8. संस्था समय समय पर जारी राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा निदेशालय के निर्देशों की पालना करेगी ।
9. संस्था को एक वर्ष के अन्दर स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन का निर्माण करना होगा ।
10. उक्त नवीन महाविद्यालय हेतु सीटों का आंवटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं निदेशालय कॉलेज शिक्षा को सूचित किया जावेगा ।
11. महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया 31.8.2003 तक पूरी कर निदेशक कालेज शिक्षा जयपुर को सूचित करना होगा ।

भवदीय,

विशेषाधिकारी, उच्चशिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1. विशिष्ठ सहायक , मा० राज्यमंत्री , उच्चशिक्षा , राजस्थान , जयपुर ।
2. निजि सचिव , शासन सचिव , उच्चशिक्षा ,राजस्थान , जयपुर ।
3. निदेशक, कॉलेज शिक्षा , राजस्थान , जयपुर ।
4. उप सचिव , उच्चशिक्षा , राजस्थान , जयपुर ।
5. जिला कलेक्टर , सीकर ।
6. सचिव, आत्माराम शोध एवं विकास संस्थान , 5-ट-4, जवाहर नगर,जयपुर ।
7. रक्षित पत्रावली ।

विशेषाधिकारी , उच्चशिक्षा